

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-187 / 2017

संस्थित दिनांक- 12.06.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

शिशुपाल पुत्र अर्जुन सिंह कुशवाह उम्र 35 साल
निवासी दिल्ली दरवाजा तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 09.10.2017 को घोषित)

- 01-अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 324, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 01.05.2017 को समय शाम करीबन 18:30 से 18:40 बजे के बीच फरियादी राम सिंह के घर के सामने दिल्ली दरवाजा चंदेरी में लोकस्थान पर फरियादी राम सिंह को मां बहन की अश्लील गालिया देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामसिंह को धक्का देकर व काटने के उपकरण चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित कर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 06.05.2017 की फरियादी के बड़े भाई की शादी है, फरियादी राम सिंह के छोटे भाइ शिशुपाल ने रामसिंह समलाती अटारी में भूसा भर दिया है, दिनांक 01.05.2017 को शाम 06:30 बजे फरियादी राम सिंह अपने घर पर खाना खा कर निकला और उसने शिशुपाल से कहा कि अटारी से भूसा क्यों भर दिया है, मेहमान आना है, इसी बात पर से शिशुपाल ने रामसिंह को बुरी बुरी गालियां देने लगा, गालियां देने से मना किया , तो शिशुपाल ने अपनी जेब से छुरा निकालकर रामसिंह को मारा, रामसिंह ने बायें हाथ से बचाव किया, जिससे हाथ कि चारों उंगलिया कट गई। शिशुपाल ने रामसिंह को धक्का दिया, तो रामसिंह दाहिने हाथ के भर गिरा जिससे दाहिने

हाथ का अंगूठा व गद्दी छिल गई, मौके पर रामसिंह की भाभी गिरजाबाई और पत्नी नन्नी बाई ने उसे बचाया, शिशुपाल धमकी देने लगा, बोला कि अटारी मे से भूसा हटाने कि कहा तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी रामसिंह द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-193/17 अंतर्गत धारा- 323, 324, 294, 506 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-09.10.2017 को फरियादी रामसिंह द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) दप्रस के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त ँ णोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.05.2017 को समय शाम करीबन 18:30 से 18:40 बजे के बीच फरियादी राम सिंह के घर के सामने दिल्ली दरबाजा चंदेरी में फरियादी रामसिंह के साथ काटने के उपकरण चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 06—अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये मात्र फरियादी रामसिंह (अ0सा0—1) व उसकी पत्नी नन्नी बाई (अ0सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। फरियादी रामसिंह (अ0सा0—1) अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्त उसका छोटा भाई है तथा वह सभी भाई एक ही बाखर में रहते हैं। इसी वर्ष मई मई माह में उसके बड़े भाई के लडके की शादी थी। उस समय अभियुक्त ने सामलाती टपरियां में भूसा भर दिया था। घटना दिनांक को जब 4—5 बजे उसने अभियुक्त से कहा कि शादी में टपरियां की आवश्यकता है भूसा हटा लो तो अभियुक्त ने उसे मां बहन की गालियां दी, जिसके बाद परिवार के और लोग भी वहां आ गये और दोनों परिवारों में मुंहवाद हो गया तथा मौके पर अन्य भाईयों ने आकर बीच बचाव किया था।
- 07—फरियादी रामसिंह (अ0सा0—1) का कहना है कि उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 पुलिस थाना चंदेरी में जाकर लेखबद्ध कराई थी जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। फरियादी रामसिंह (अ0सा0—1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन का इस बात पर समर्थन किया है कि घटना के समय उसके बड़े भाई के लडके की शादी थी और विवाद सामलाती टपरियां में अभियुक्त के द्वारा भूसा भर लेने पर फरियादी के द्वारा उसे खाली करने का कहने पर हुआ था। फरियादी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रदर्श—पी—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर से भी होती है तथा बचाव पक्ष के द्वारा भी उपरोक्त कथनों को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती न देते हुये घटना में केवल मुंहवाद होने के संबंध में सुझाव दिया है जिसे अभियुक्त ने स्वीकार किया है।
- 08—अतः फरियादी राम सिंह (अ0सा0—1) के कथनों से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को टपरियां से भूसा निकालने की कहने पर से अभियुक्त ने फरियादी के साथ गाली—गलौच की थीं। इस घटना के अलावा अभियुक्त ने फरियादी के साथ और कोई घटना कारित की इस संबंध में फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन न देते हुये, घटना में केवल मुंहवाद होना बताया है। आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी रामसिंह (अ0सा0—1) को पक्षविरोधी कर अभियोजन के द्वारा विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु उक्त परीक्षण में भी फरियादी ने अभियुक्त के द्वारा

मुंहवाद की घटना के अलावा और कोई घटना कारित न किया जाना बताया।

- 09—फरियादी राम सिंह (अ0सा0—1) ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि अभियुक्त ने घटना में उसे धक्का दिया था और अपनी जेब से छुरी निकला मारी थी जिससे उसकी बाये हाथ की चारों उंगलिया कट गई थी। फरियादी ने इस संबंध में पुलिस को भी प्रदर्श-पी-1 की रिपोर्ट में कोई घटना लेख न कराना बताया है तथा इस संबंध में पुलिस कथन प्रदर्श-पी-2 भी पुलिस को न दिया जाना बताया है। फरियादी रामसिंह (अ0सा0—1) अपने हाथ में चोट होना तो स्वीकार करता है, परन्तु उसका कहना है कि उक्त चोट वह शादी के तार बांध रहा था, तो तार खींच जाने से उसकी उंगलिया कट गई थीं तथा इस साक्षी का स्पष्ट कहना है कि अभियुक्त ने उसे चाकू से कोई चोट नहीं पहुंचाई बल्कि घटना में केवल मुंहवाद हुआ था।
- 10—फरियादी रामसिंह (अ0सा0—1) घटना में आहत होकर अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण में फरियादी हैं, परन्तु यह साक्षी अभियुक्त के द्वारा उसे चाकू मारकर बाये हाथ की उंगलियों में उपहति कारित करने की घटना से इंकार करता है तथा बायें हाथ की उंगलियों में चोट तार खींचने से आना बताता है। घटना के अन्य साक्षी नन्नी बाई (अ0सा0—2) जिसे अभियोजन के द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया हैं, अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताती है तथा अपने पति के बताये अनुसार पति से अभियुक्त का गाली गलौच होने के संबंध में न्यायालय में कथन देती है। इस साक्षी ने भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया। जिस पर अभियोजन के द्वारा उसे पक्षविरोधी घोषित किये जाने के बाद भी इस साक्षी ने इस बात का खण्डन किया, अभियुक्त ने उसके पति को चाकू से हाथ की उंगलियों में उपहति कारित की थी।
- 11—अतः फरियादी राम सिंह (अ0सा0—1) व नन्नी बाई (अ0सा0—2) के द्वारा घटना में केवल मुंहवाद होना न्यायालीन कथनों में बताया है तथा स्वयं फरियादी के अनुसार उसके हाथ में चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पाई गई उपहति स्वतः ही कारित हुई थी अभियुक्त के द्वारा कारित नहीं की गई। फरियादी राम सिंह (अ0सा0—1) व नन्नी बाई (अ0सा0—2) ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है जिससे अभिलेख पर आरोपित अपराध के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

- 12—अतः साक्ष्य के अभाव में एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने दिनांक 01.05.2017 को समय शाम करीबन 18:30 से 18:40 बजे के बीच फरियादी राम सिंह के घर के सामने दिल्ली दरवाजा चंदेरी में फरियादी रामसिंह के साथ काटने के उपकरण चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी।
- 13— फलतः अभियुक्त शिशुपाल पुत्र अर्जुन सिंह कुशवाह के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 324 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा०द०वि० की धारा 324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)